राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जे.एन.मथुरिया (आर.ए.एस.)

आर.सी.एम.एस 2013/00123
अपील संख्या 48/13 (223 आर.टी.एक्ट.)
उनवान

1. मुस0 सम्पत्ति बेवा महताब जाति मेव निवासी जुरहरा तहसील कांमा जिला भरतपुर।
2. अयूब पुत्र महताब जाति मेव निवासी जुरहरा तहसील कांमा जिला भरतपुर।
3. रमजू पुत्र महताब जाति मेव निवासी जुरहरा तहसील कांमा जिला भरतपुर।

.....अपीलांटान

बनाम

1. मुस0 जमीला बेवा तैयब जाति मेव निवासी गॉव सतवाडी तहसील पहाडी जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब कांमा जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील धारा 223 आर.टी.ए. फैसला व डिक्री उपजिला कलेक्टर एवं पदेन सहायक कलक्टर कांमा दिनांक 06.02.2003 मिसिल नं. 573/98 व उनवानी मुस0 सम्पत्ति बनाम मुस0 जमीला ।

उपस्थिति :– वकील अपीलांट श्री पकंज कुमार एड.

निर्णय दिनांक 08.10.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नं. 51 मिन/0.11, 52/0.16, 489/0.52, 494 मिन/0.17, 1393/0.33, 1564/0.16 वाके ग्राम जुरहरा तहहसील कांमा में स्थित है। जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाई गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एकपक्षीय बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी पक्षकारान की पुश्तैनी आराजी है। प्रत्यर्थी नें अपने पति की मृत्यु के पश्चात अन्यत्र विवाह कर लिया है एवं विवादित आराजी पर अब वह काबिज नहीं है। मुस्लिम विधि के अनुसार विधवा के पुनर्विवाह की दशा में उसका पति की सम्पत्ति पर कोई हक नहीं रहता है और न ही वह अभी उस पर काबिज है ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे एवं विवादित आराजी में से विवादित आराजी में से प्रत्यर्थी का नाम विलोपित किया जाकर अपीलार्थीगण को विवादित आराजी का वमुताबिक हिस्सा खातेदार घोषित किया जावे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनियम में कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 08.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिकरी बसीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री जगदीश नारायण मथुरिया (आर0ए0एस0)

आर.सी.एम.एस 2003 / 00036
अपील संख्या 40 / 03 (223 आर.टी.एक्ट.)
उनवान

1.मुस0 सम्पत्ति बेवा महताब जाति मेव निवासी जुरहरा तहसील कांमा जिला भरतपुर।
2.अयूब पुत्र महताब जाति मेव निवासी जुरहरा तहसील कांमा जिला भरतपुर।
3.रमजू पुत्र महताब जाति मेव निवासी जुरहरा तहसील कांमा जिला भरतपुर।
. .....अपीलांटान

बनाम

1.मुस0 जमीला बेवा तैयब जाति मेव निवासी गॉव सतवाडी तहसील पहाडी जिला भरतपुर।
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब कांमा जिला भरतपुर।
.....रेस्पोडेन्ट

अपील धारा 223 आर.टी.ए. फैसला व डिक्री उपजिला कलेक्टर एवं पदेन सहायक कलक्टर कांमा दिनांक 06.02.2003 मिसिल नं. 573 / 98 व उनवानी मुस0 सम्पत्ति बनाम मस0 जमीला ।

यह अपील .....08.....माह.....10.....सन्.....2018.....व हमारे ...श्री गोविन्द सिंह डॉगुर मिनजानिब अपीलाण्ट समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....)रूपये अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....**08**.....माह.....**10**.....सन्.....**2018**..... को जारी की गई।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official